पत्रांक–01 / सी०एल०–10–14 / 2025, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास एवं पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक–

विषयः– **विमुक्त किशोर श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी पर्षद द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में किये गये संशोधन के आलोक में खतरनाक नियोजनों से विमुक्त वैसे किशोर जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिनका विवरण CLTS में दर्ज हो, को भी बाल श्रमिकों की तरह मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये मात्र की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उक्त राशि खतरनाक नियोजनों से विमुक्त किशोर श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/ Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि किशोर श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रू० 25,000/– के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	किशोर श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन / एफ०आई०आर०
1	रोहतास	-----	अरबाज हुसैन	27.09.2025	101/27.09.2025
2		-----	छोटु कुमार	23.05.2026	154/23.05.2026
3		-----	अक्षय कुमार सिंह	22.05.2026	89/28.05.2026
4		-----	राहुल कुमार	08.12.2025	486/09.12.2025
5	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	-----	पंकज कुमार	06.05.2026	164/26
6		-----	सुभाष कुमार	06.05.2026	164/26
7		-----	अर्जुन कुमार	06.05.2026	164/26
8		-----	हिमांशु कुमार	18.04.2026	89/26
9		-----	विवेक कुमार	11.06.2026	309/26
10		-----	प्रिंस कुमार	11.06.2026	309/26

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त किशोर श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री रात कोष से @25,000/- प्रति किशोर श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	किशोर श्रमिकों की संख्या	किशोर श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
रोहतास	जिला पदाधिकारी, रोहतास,	364245 95320	SBIN0000177	04	04@25000	1,00,000/-	पत्रांक–1227, दिनांक–31.07.2026
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	365702 64808	SBIN0000137	06	06@25000	1,50,000/-	पत्रांक–1270, दिनांक–05.08.2026
कुल					10@25000	2,50,000/–(दो लाख पचास हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र किशोर श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/सी०एल०–10–14/2025, श्र०सं०........ पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक, रोहतास एवं पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/सी०एल०–10–14/2025, श्र०सं०....... 4878 पटना, दिनांक 17/8/26
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/26
श्रमायुक्त, बिहार